दिनांक 09.05.2018

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

ठेकेदार पर सड़क बाधा शुल्क के रुप में निगम ने वसूला 50 हजार रुपये

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के अंतर्गत आम नागरिकों के आने जाने के रास्ते को ठेकेदारों के द्वारा रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट एवं अन्य सामग्री रखकर बाधा पहूंचाते हैं ऐसे ठेकेदारों पर मौके का निरीक्षण कर सड़क बाधा शुल्क वसूल किये जाने के निर्देश सभी जोन आयुक्त को दिये गये तथा वार्डों में भ्रमण के दौरान ऐसे सड़को पर बाधा पहुंचाने वाले ठेकेदार, व्यवसायियों सहित अन्य जिनके कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है उससे मौके पर ही सड़क बाधा शुल्क वसूलने के सक्त निर्देश दिये गये।

आज जोन 04 के जोन आयुक्त श्री संजय शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुभाष सिंह ठाकुर, सहायक स्वास्थ्य श्री जावेद अली, उपयंत्री श्री बसंत साहू, स्वच्छता निरीक्षक श्री व्ही0के0 सेमूअल के द्वारा जोन 04 शिवाजी नगर कार्यालय के अंतर्गत वार्ड 38 में शीतला मंदिर के पास सर्विस रोड पर ठेकेदार पंकज तिवारी के द्वारा रेत एवं गिट्टी से आम नागरिकों के आवागमन में बाधा पहूंचाने के कारण मौके पर ही पंचनामा तैयार कर ठेकेदार से 50 हजार रुपये सड़क बाधा शुल्क के रुप में अर्थदण्ड से रोपित किया गया तथा मौके पर ही ठेकेदार के द्वारा तत्काल दण्ड के रुप में 10 हजार रुपये निगम कोष में जमा कराया गया जिसकी रसीद ठेकेदार को दी गई। शेष राशि 40 हजार रुपये ठेकेदार के बिल से वसूली कर नियमानुसार निगम कोष में जमा किया जावेगा।

जन सम्पर्क अधिकारी